

प्ररूप 8
[नियम 13 (3) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,
.....विधान सभा/£ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

हाल ही के पासपोर्ट साइज का
फोटोग्राफ (3.5 से. मी. x
3.5 से. मी.) जिसमें बाक्स के
भीतर चेहरे की पूरी आकृति
स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए
स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त-निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए. मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण निम्नानुसार है :-

I. आवेदक का विवरण

नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

निर्वाचक नामावली का भाग संख्या :

उस भाग में क्रम संख्या :

1 जनवरी.....# को.....आयु वर्ष : मास : लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य) :

जन्म तिथि, यदि ज्ञात है : तारीख : मास : वर्ष :

पिता/माता/पति का नाम

नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

II. साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)

मकान/गृह संख्या :

गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :

नगर/ग्राम :

डाकघर :

पिन कोड

तहसील (अंचल)/तालुक (प्रखंड)/मंडल/थाना :

जिला :

III. निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र का विवरण :

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या :

निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

IV. शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण

इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मेरा नाम-*आयु/*मेरे पिता/माता/पति का नाम/*लिंग/*पता/*निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या *शुद्ध कर दिया जाए.

स्थान :

तारीख :

निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

टिप्पणी :- जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा.

की गई कार्यवाही के ब्यौरे
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाए)

श्री/श्रीमती/कुमारी..... के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्ररूप 8 में आवेदन को स्वीकार*/नामंजूर* कर दिया गया है.

स्वीकार* किये जाने [नियम 18/20/26 (4)[£] के अधीन या अनुसरण में] या नामंजूर किए जाने [नियम 17*/20*/26(4)[£] के अधीन या अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान :

दिनांक : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें.

£ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् सतत् अद्यतीकरण करने के दौरान.

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

आवेदन की पावती

**श्री/श्रीमती/कुमारी.....

**पता.....

से प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया.

दिनांक.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर

(पता).....

**आवेदक द्वारा भरा जाए.